भारत सरकार
रेल मत्रांलय
उत्तर पश्चिम रेलवे

रेलवे भर्ती कक्ष

www.nwr.indianrailways.gov.in

रेलवे भर्ती कक्ष–जयपुर द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा का प्रारम्भ

ऑनलाईन आवेदन हेतु बेबसाईट : www.iroams.com (या) www.nwr.indianrailways.gov.in

उत्तर पश्चिम रेलवे पर पे–बेण्ड–1(₹5200–20200) ग्रेड पे–1800 के पदों पर सीधी भर्ती

रोजगार सूचना सं. 03/2013 (ग्रेडपे 1800 रे.भ.क./उ. प. रे.) दिनॉक : 14.12.2013

आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि एवं समय :–13.01.2014 (सायं 17:00 बजे तक)

असम, मेद्यालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालेण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिलों तथा चंबा जिले के पांगी उपसंभाग, अण्डमान–निकोबार तथा लक्षद्वीप तथा विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए साधारण डाक से आवेदन भजने की अंतिम तिथि 28.01.2014 (17.00 बजे तक) है।

1. उत्तर पश्चिम रेलवे पर पे बेण्ड–1 (₹5200–20200) ग्रेड पे 1800/– के 917 पदों (भूतपूर्व सैनिक के 184 एवं शारीरिक रूप से विक्लांगों के लिए 27 (09 ओएच, 09एचएच 09 वीएच) सहित को खुले बजार से भरने के लिए पात्र भारतीय नागरिकों तथा गृहमंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पात्र अन्य ऐसे व्यक्तियों के आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते है।

   महत्वपूर्ण– उम्मीदवार कृपया नोट करे कि सभी क्षेत्रीय रेलों पर लिखित परीक्षा एक ही तिथि को आयोजित होगी। इसी प्रकार शारीरिक दक्षता परीक्षा भी सभी क्षेत्रीय रेलों पर एक ही अवधि में आयोजित की जायेगी।

2. रेलवे भर्ती कक्ष, जयपुर उम्मीदवारों को इस रोजगार सूचना के तहत अधिसूचित पदों पर ऑनलाईन आवेदन करने की सलाह देता है।ऑनलाईन आवेदन के निम्नलिखित फायदे हैं।

उम्मीदवारों का ऑॅनलाईन आवेदन क्यों करना चाहिए ?

उम्मीदवारों द्वारा की गई गलतियों के कारण बड़ी संख्या में आवेदन अस्वीकृत हो जाते है। अस्वीकृत के कारणों का विश्लेषण करने पर पाया गया कि आवेदन पत्रों के निरस्त होने के निम्नलिखित मुख्य कारण है।

1. आवेदन का निर्धारित प्रारूप मे न होना 2. अपूर्ण आवेदन पत्र 3. उम्मीदवार के फोटोग्राफ के बिना आवेदन पत्र 4. आवेदन पत्र में उम्मीदवार के हस्ताक्षर न होना या अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में होना 5. अपेक्षित प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न न करना 6. डाक की देरी के कारण देर से प्राप्त आवेदन, इत्यादि। आवेदन पत्रों के निरस्त होने की सम्भावना को न्यूनतम करने के लिए अब ऑनलाईन आवेदन की सुविधा दी जा रही है।

जो उम्मीदवार ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगें केवल उन्हे निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध होगीं।

- रेलवे भर्ती कक्ष जयपुर के आवेदन भेजने के प्रमाण के तौर पर यूनिक ट्रांजैक्शन आई डी न. सहित तुरन्त पावति।
- पूरे भारत में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर तथा भारतीय पोस्ट ऑफिस की किसी भी शाखा के माध्यम से फीस का आसान भुगतान।
- हस्ताक्षर एवं अंगुठा निशानी आवश्यक नहीं ।
- रेलवे भर्ती कक्ष से भविष्य मे सभी पुछताछ/जानकारी हेतु ट्राजैक्शन आईडी का प्रयोग।
- रेलवे भर्ती कक्ष को प्रिंटआउट या दस्तावेज भेजने की आवश्यकता नही।
- फोटोग्राफ या हस्ताक्षर या प्रमाण पत्रों को स्केन कर अपलोड करने की आवश्यकता नही।
- भर्ती के प्रत्येक चरण पर उम्मीदवार से सम्बन्धित सूचना जैसे रोल नं, परीक्षा तिथि, स्थान इत्यादि की एसएमएस एवं ई–मेल जानकारी।
- आवेदन की अन्तिम तिथि तक सभी कार्य दिवसों पर 10.00 बजे से 5.00 बजे तक टेलिफोन के द्वारा पूछताछ हेतु कॉल सेंटर टेलिफोन न. :– 0141–2720408,2720409,2720410,2720411,2720412

3. ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया

- ✓ आपके मोबाईल फोन, वैध ई–मेल एड्रस तथा प्रमात्र–पत्र तेयार रेखे।
- ✓ www.iroams.com या www.nwr.indianrailways.gov.in पर लॉग ऑन करे तथा निर्देशों का अनुसरण करें।
- ✓ आपसे सम्बन्धित जानकारी दर्शाते हुए कॉलम भरे।
- ✓ आवेदन Submit करे तथा विवरण confirm करें।
- ✓ वन टाईम पासवर्ड दर्ज करें जो कि आपके ई–मेल एड्रस पर ई–मेल के जरिऐ प्राप्त होगा।
- ✓ भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर या पोस्ट आफिस में से किसी एक का प्री प्रिंटेड चालान का प्रिंट आउट लें और फीस का भुगातान करें (जिन्हें फीस भुगतान से छुट है उनके लिए यह आवश्यक नहीं है)
- ✓ आप पावती का प्रिंट आउट लेकर आवेदन भेजने के प्रमाण के तौर पर रिकॉर्ड में रख सकते है। (रेलवे भर्ती कक्ष को प्रिंट आउट एवं दस्तावेज भेजने की आवश्यकता नहीं।

4. ऑफलाईन/ मेन्युअली (हाथ से भरकर) आवेदन करने की प्रक्रिया

(पेपर एवं पैन का उपयोग कर डाक द्वारा या सीधे उम्मीदवार ऑन लाईन या ऑफलाईन (मेन्युअली) केवल एक माध्यम से ही आवेदन करें।) दोनो तरह से आवेदन करने पर दोनों आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेगें।

- ✓ रेलवे भर्ती कक्ष की बेबसाईट से आवेदन डाउनलोड करे या उसकी समान प्रति (ए–4 साईज केवल एक पेज के आवेदन पत्र) का प्रयोग करे।
- ✓ आपसे संबधित सभी कॉलम स्पष्ट एवं बिना काट छाट के भरें। आवेदन के हिन्दी के प्रारूप में भी स्वयं का प्रथम नाम, मध्य नाम तथा अंतिम नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही भरे।
- ✓ दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर करे। (हस्ताक्षर अग्रेंजी के कैपिटल लैटर मे न करें।)
- ✓ शैक्षणिक प्रमाण प्रत्रों, जन्म तिथि, समुदाय, विकलांगता एवं यदि भूतपूर्व सैनिक हो तो डिस्चार्ज बुक/प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी या स्वयं द्वारा सत्यापित फोटो प्रतियाँ संलग्न करें।
- ✓ आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग के उम्मीदवार आय प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी या स्वयं द्वारा सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करें।
- ✓ न्यायिक रुप से अलग रह रही मगर पुर्नविवाहित नही महिलाएं ड्रिक्री राजपत्रित अधिकारी या स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें।
- ✓ विद्यवा महिलायें पति के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा पुर्न विवाह न करने के शपथ पत्र की राजपत्रित अधिकारी या स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।
- ✓ सेवारत सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अर्ध सरकारी संगठनों के कर्मचारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी या स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।
- ✓ अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवार परीक्षा शुल्क में छूट स्व घोषणा पत्र संलग्न करें।
- ✓ कोई अन्य दावा/छूट के लिए राजपत्रित अधिकारी या स्वयं द्वारा सत्यासपित अपक्षित प्रमाण पत्र प्रतिलिपि संलग्न करें।
- ✓ ₹ 100/– का भारतीय पोस्टल आर्डर संलग्न करे (यदि आप परीक्षा शुल्क अदायगी से मुक्त नही है।) डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नही किये जायेगें ।
- ✓ आवेदन पत्र एवं सभी अनुलग्नकों को अच्छी तरह से बाँध कर एक लिफाफे में रखें और उसे रेलवे भर्ती कक्ष, जयपुर को भेज दें।
- ✓ कृपया सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र अन्तिम तिथि से पूर्व रेलवे भर्ती कक्ष, जयपुर में आवश्यक रूप से भेज दिया जाए।
- ✓ अन्तिम तिथि के पश्चात रेलवे भर्ती कक्ष, जयपुर में प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा और उन्हे अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

4.1 केवल एक आवेदन पत्रः उम्मीदवारों को ऑनलाईन या दोनों में से किसी एक तरिके से आवेदन करना है। प्रत्येक उम्मीदवार ऑनलाईन या हाथ से भरकर केवल एक आवेदन पत्र ही भेजे। उम्मीदवार द्वारा भेजे गये एक से अधिक आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा यदि ऐसे उम्मीदवार का चयन भी हो जाता है तो उसे नियुक्ति नही दी जायेगी।

4.2 पूर्ण रूप भरे हुए आवेदन, अपेक्षित अनुलग्नकों सहित लिफाफे में बंद कर लिफाफे पर बड़े अक्षरों में ''उत्तर पश्चिम रेलवे में पे बैण्ड–। ग्रेड पे 1800 की भर्ती हेतु आवेदन पत्र'' लिखकर नीचे दिए गए पते पर इस प्रकार भेजे जाए की वह अधिसूचना में उल्लेखित अंतिम तिथि एवं उससे पहले पहुंच जाए– ''सहायक कार्मिक अधिकारी/भर्ती, रेलवे भर्ती कक्ष, दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन, जयपुर–302018। एक लिफाफे में एक ही आवेदन पत्र भेजा जाए। भरे हुए आवेदन पत्र ऊपर दिए गए पते पर अंतिम तिथि या उससे पूर्व रेलवे भर्ती कक्ष के कार्यालय में रखे बाक्स में सीधे भी डाले जा सकते है।

4.3 अपूर्ण आवेदनः–

उम्मीदवार सुनिश्चित करें कि उनके आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण होने चाहिए

नीचे दी गई किसी भी कमी के कारण आवेदन पत्रों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

(अ) उचित प्रोफार्मा में आवेदन पत्र नहीं होना/सभी कॉलम न होना।
(ब) अपूर्ण या अवैध आवेदन
(स) हस्ताक्षर रहित/अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर होना।
(द) कम आयु या अधिक आयु वाले उम्मीदवारों के आवेदन पत्र।
(य) पैरा 4 में दर्शाए गए प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि के बिना आवेदन पत्र।
(र) रोजगार सूचना के जारी होने से पूर्व या अंतिम तिथि व समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र।
(ल) बिना परीक्षा शुल्क के भेजे गए आवेदन पत्र (परीक्षा शुल्क में छुट प्राप्त उम्मीदवारों के अतिरिक्त)
(व) उम्मीदवार द्वारा भेजे गए एक से अधिक आवेदन पत्र।

5. अधिसूचित की जा रही रिक्तियों का विवरण :–

क्रम सं.	पदनाम	विभाग	अना	अपिव	अजा	अजजा	कुल योग	चिकित्सा मानक	शारीरिक विकलांग हेतु उपकोटि
1	ट्रैकमैन	इंजीनियरिंग	214	114	63	32	423	B1	कोई नहीं
2	यातायात खलासी/पाइंटस मैन	परिचालन	58	32	18	9	117	A2	कोई नहीं
3	गेट मैन	परिचालन/ इंजीनियरिंग	3	2	1	0	6	A3	कोई नहीं
4	हेल्पर/खलासी	संकेत एवं दूरसंचार/विद्युत/यांत्रिक	101	54	30	15	200	B1	ओएच (ओए, बीएल, ओएल), वीएच(एलवी), एचएच
5	हेल्पर/खलासी/ सफाईवाला/एच.ए.	यांत्रिक कारखाना/स्टोर/सभी विभागों में/ (सफाईवाला एवं एच.ए. मेडिकल विभाग में)	87	46	25	13	171	C1	ओएच (ओए, बीएल, ओएल), वीएच(एलवी, बी), एचएच
			463	248	137	69	917		

नोट :– 1. 917 पदों में से 184 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए तथा 27 पद शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों (09वीएच, 09 एचएच तथा 09 ओएच) के लिए आरक्षित है।
2. उपर दर्शाए गए पदों की संख्या प्रोविजनल है तथा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
3. संक्षिप्त शब्द : ओएच– अस्थि विकलांग, वीएच– दृष्टि विकलांग, एचएच–श्रव्य विकलांग, ओए–एक भुजा, बीएल–दोनों पैर, ओएल– एक पैर,एलवी–कमजोर दृष्टि, बी–अंधता.

6. पात्रता मापदंड :

6.1 आयु सीमा

दिनांक 01.01.2014 को			
कोटि	सामान्य	अपिव	अजा/अजजा
आयु	18–33 वर्ष	18–36 वर्ष	18–38 वर्ष
उपरी आयु सीमा	01.01.1981	01.01.1978	01.01.1976
निचली आयु सीमा सभी के लिए 01.01.1996			

6.2 आयु सीमा में विशेष छुट :–

6.2.1	सेवारत रेलवे कर्मचारी	आकस्मिक श्रमिक एवं एवजी जिनकी न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूरी हो चुकी है सहित सेवारत रेलवे कर्मचारी।	अना : 40 वर्ष तक अपिव : 43 वर्ष तक अजा/अजजा : 45 वर्ष तक
6.2.2	रेलवे के अर्द्धप्रशासनिक कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी	जैसे रेलवे कैंटिन, रेलवे संस्थान एवं रेलवे कापरेटिव सोसायटी	पॉच वर्ष या संगठन में की गई सेवा तक की छुट, जो भी कम हो।
6.2.3	भूतपूर्व सैनिक		रक्षा सेवा में की गई सेवा अवधि तथा इसके अतिरिक्त 03 वर्ष बशर्ते उन्होंने सेना में न्युनतम 06 माह की सत्यापित सेवा की हो तथा सरकारी सेवा में न आए हों।
6.2.4	विधवा/तलाकशुदा एवं न्यायिक रूप से पति से अलग रह रही मगर पुर्नविवाहित नहीं		अना : 35 वर्ष तक अपिव : 38 वर्ष तक अजा/अजजा : 40 वर्ष तक
6.2.5	शारीरिक विकलांग		अना : 43 वर्ष तक अपिव : 46 वर्ष तक अजा/अजजा : 48 वर्ष तक
6.2.6	जम्मू एवं कश्मीर निवासी	बशर्ते वे साधारण रूप से 01.01.1980 से 31.12.1989 की अवधि के दौरान जम्मू–कश्मीर में निवास करते रहें हों।	अना : 38 वर्ष तक अपिव : 41 वर्ष तक अजा/अजजा : 43 वर्ष तक

अधिसूचना में प्रयुक्त किए गए संक्षिप्त शब्दः

रेभक	रेलवे भर्ती कक्ष	अजा	अनुसूचित जाति भू पू : भूतपूर्व सैनिक
उपरे	उत्तर पश्चिम रेलवे	अजजा	अनुसूचित जनजाति
शा.वि.	शारीरिक विकलांग	अपिव	अन्य पिछडा वर्ग
शादप	शारीरिक दक्षता परीक्षा	अना	अनारक्षित

7. शैक्षणिक योग्यता :–

7.1 न्यूनतम दसवीं पास या आटीआई या समकक्ष।
7.2 उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले भी आवेदन कर सकते है।

8. भर्ती प्रक्रिया :–

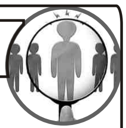

8.1 भर्ती प्रक्रिया में एक लिखित परीक्षा तथा उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षा होगी।

8.2 जो उम्मीदवार आवेदन करेंगे उन्हें प्राविजनली लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को अलग अलग बुलावा पत्र प्रेषित किए जाएगें।

8.3 लिखित परीक्षा : लिखित परीक्षा की अवधि 90 मिनट होगी। लिखित परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र दसवीं कक्षा के शैक्षणिक स्तर के अनुरूप होगा जिसमें सामान्य ज्ञान/सचेतता, गणित और तर्कशक्ति इत्यादि के 100 बहुविध प्रकार (04 विकल्प) के प्रश्न होगें।

8.4 प्रश्न पत्र हिंदी, अंग्रजी, उर्दू एवं क्षेत्रिय भाषाओं जैसे गुजराती तथा पंजाबी भाषा में होगें।

8.5 गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाएगें। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएगें अर्थात् प्रत्येक 3 गलत उत्तरों के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा।

8.6 चयन का आधार केवल मेरिट होगा। चयनित उम्मीदवारों को उनकी मेरिट स्थिति, रिक्तियों की उपलब्धता एवं आरक्षण नियमों के अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा। उम्मीदवार कृपया नोट करें कि लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा पास कर लेने से ही वे स्वतः रेलवे में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं हो जाते।

8.7 दस्तावेज सत्यापन के दौरान पात्रता के समर्थन में मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों को ही चिकित्सा परीक्षा हेतु भेजा जाएगा।

9. शारीरिक दक्षता परीक्षा :–

9.1 लिखित परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर आवश्यक पात्र उम्मदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। पात्र उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा तिथि समय एवं स्थान दर्शाते हुए अलग से सूचना भेजी जाएगी।

9.2 शारीरिक दक्षता परीक्षा को केवल पास करना आवश्यक होगा। शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में छुट है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए मापदंड निम्न प्रकार होगें :

पुरूष उम्मीदवार : एक अवसर में 1000 मीटर की दूरी 04 मिनट 15 सैकेंड मे तय करने में सक्षम होने चाहिए ।

महिला उम्मीद्वार : एक अवसर में 400 मीटर की दूरी 03 मिनट 10 सैकेंड में तय करने में सक्षम होनी चाहिए ।

10. चिकित्सा परीक्षा :–

10.1 चिकित्सा वर्गीकरण मानक :

ए–2 – सभी तरह से शारीरिक चुस्त, दृष्टि मानक – दूर दृष्टि 6/9, 6/9 बिना चश्में के (फोगिंग टेस्ट नहीं), निकट दृष्टि – 0.6, 0.6 बिना चश्में के।

ए–3 – सभी तरह से शारीरिक चुस्त, दृष्टि मानक – दूर दृष्टि 6/9, 6/9 बिना चश्में या चश्में सहित, लेंस की पावर 2डी से अधिक नहीं । निकट दृष्टि 0.6, 0.6बिना चश्में के या चश्में सहित।

बी–1– सभी तरह से शारीरिक चुस्त, दृष्टि मानक – दूर दृष्टि 6/9, 6/12 बिना चश्में या चश्में सहित, लेंस की पावर 4डी से अधिक नहीं । निकट दृष्टि – 0.6, 0.6 बिना चश्में के या चश्में सहित। जब पढ़ना या निकट कार्य आवश्यक हो।

सी–1 –सभी तरह से शारीरिक चुस्त, दृष्टि मानक – दूर दृष्टि 6/12, 6/18 बिना चश्में या चश्में सहित। निकट दृष्टि – 0.6, 0.6 बिना चश्में के या चश्में सहित। जब पढ़ना या निकट कार्य आवश्यक हो।

नोट :– उक्त दर्शाया विवरण एवं मानक सूचनात्मक है तथा संपूर्ण नहीं है। अन्य चिकित्सा परीक्षण जो भी आवश्यक है, कराए जाएगें। उम्मीदवर रेलवे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा की गई चिकित्सा परीक्षा में सफल पाया जाना चाहिए क्योंकि यह अनिवार्य हैं। चिकित्सा परीक्षा में सफल पाए गए उम्मीदवारों पर ही विभिन्न कोटियों में रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार अंतिम योग्यता सूची में रखने पर विचार किया जाएगा। उम्मीदवर रेलवे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा की गई चिकित्सा परीक्षा में सफल पाया जाना चाहिए क्योंकि यह अनिवार्य हैं। चिकित्सा परीक्षा में सफल पाए गए उम्मीदवारों पर ही विभिन्न कोटियों में रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार अंतिम योग्यता सूची में रखने पर विचार किया जाएगा।

11. परीक्षा शुल्क :– रू. 100/– (रूपए सौ मात्र)

11.1 भुगतान का तरीका – आनलाइन आवेदन कर रहे उम्मीदवारों के लिए – आनलाइन आवेदन रजिस्टर्ड करने के पश्चात उम्मीदवार (परीक्षा शुल्क से मुक्त के अलावा) चालान का प्रिंट आउट ले सकता है और परीक्षा शुल्क को भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर या पोस्ट ऑफिस की किसी भी शाखा में जमा कर सकता है।

11.2 ऑफलाइन (मेन्यूअली) आवेदन कर रहे उम्मीदवारों के लिए – परीक्षा शुल्क का भुगतान रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर जो कि Assistant Personnel Officer/Rectt., Railway Recruitment Cell, NWR, Jaipur के पक्ष में देय हो, के द्वारा किया जा सकता है। भारतीय पोस्टल आर्डर रोजगार सूचना के जारी होने की तिथि के पहले के नहीं होने चाहिए।

11.3 आईपीओ में दिए गए स्थान में उम्मीदवार रोजगार सूचना संख्या, नाम एवं डाक का पता अवश्य भरें।

11.4 भारतीय पोस्टल आर्डर के अलावा अन्य किसी माध्यम से किया गया भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा राशि जब्त कर ली जाएगी।

12.0 परीक्षा शुल्क में छुट :–

अजा/अजजा/शारीरिक विकलांग/महिलाओं/अल्पसंख्यकों/रू. 50,000/ से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है।

नोट :–अल्पसंख्यकों का मतलब मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, बौद्ध, पारसियों से है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो का मतलब ऐसे उम्मीद्वारों से है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रू 50,000/– से कम है। आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग की पहचान के लिए वार्षिक आय प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत हैं

अ. जिलाधीश अथवा अन्य कोई राजस्व अधिकारी जो इनके स्तर का हो या तहसीलदार।

ब. उम्मीदवार अपने ही वर्तमान सांसद जो उनके संसदिय क्षैत्र से चुने गये है।

स. बीपीएल कार्ड धारक या भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के प्रोग्राम के तहत अन्य कोई प्रमाण पत्र या रेलवे द्वारा आईजेडजेडएटी एमएसटी जारी की गई हो।

द. यूनियन मंत्री द्वारा देश के किसी भी रेलवे भर्ती कक्ष को देश के किसी भी उम्मीदवार के लिए सिफारिश करे।

य. वर्तमान राज्यसभा सांसद द्वारा अपने संसदिय क्षैत्र के किसी उम्मीदवार के लिए सिफारिश की हो।

नोट :–परीक्षा शुल्क में छुट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा उसकी एक कापी आवेदन पत्र के साथ संलग्ल की जाए अन्यथा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए प्रोफार्मा अनुलग्नक–4 में तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अनुलग्नक–5 में दिया गया है (प्रोफार्मा बेवसाइट पर भी उपलब्ध है)

13.0 जाति प्रमाण पत्र :–

13.1 अजा/अजजा उम्मीदवार : अजा/अजजा वर्ग के अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय अनुलग्नक–2 में दिए गए प्रार्फमा में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा उसकी एक प्रति आवेदन पत्र के साथ भी संलग्न करनी होगी अन्यथा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

13.2 अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार : अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय अनुलग्नक–2 में दिए गए प्रार्फमा में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा उसकी एक प्रति आवेदन पत्र के साथ भी संलग्न करनी होगी अन्यथा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र में क्रिमीलेयर वर्ग के तहत न आने संबंधी उल्लेख होना आवश्यक है।

13.3 नीचे दिये गए प्राधिकारी वे हैं जिन्हें अजा/अजजा/अपिव जाति प्रमाण–पत्र जारी करने काअधिकार है :

(1) जिलाधिकारी/अतिरिक्त दंडाधिकारी/कलैक्टर/ उप आयुक्त / अतिरिक्त उपआयुक्त/उप कलैक्टर/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी दंडाधिकारी/शहरी दंडाधिकारी/उप मंडल दंडाधिकारी/तालुका दंडाधिकारी/कार्यकारी दंडाधिकारी/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी दंडाधिकारी के पद से कम नहीं)

(2) मुख्य प्रेसिडेंसी दंडाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी दंडाधिकारी/प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी

(3) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार की श्रेणी से कम श्रेणी का न हो और

(4) उस क्षेत्र का उप मंडल अधिकारी जिसमें उम्मीद्वार और उसका परिवार निवास करता है ।

(5) प्रशासनिक सचिव या प्रशासक/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप समूह)

14.0 शारीरिक विकलांग अभ्यर्थी :

विकलांगो की परिभाषाएं : भर्ती के उद्देश्य के लिए विकलांगताओं की श्रेणियों की परिभाषाएं नीचे दी गई हैं

14.1 दृष्टि विकलांगता

(क) अंधता : अंधता ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति निम्नलिखित किसी एक दशा से पीडित होता है :

(i) पूरी तरह दृष्टिहीन या

(ii) करेक्टिंग लेंस से बेहतर आंख में विजुअल एक्युटि 6/60 या 20/200 (स्नेलन) से ज्यादा न हों

(iii) 20 डिग्री के कोण या उससे भी खराब सब टेंडिंग फील्ड आफ विजन की सीमा.

(ख) कम दृष्टि : ''कम दृष्टि वाले व्यक्ति'' का मतलब से है ऐसे व्यक्ति जिसे इलाज या स्टैडर्ड रिफरेक्टिव करेक्शन के बाद भी दृश्य कार्य प्रणाली मे विकृति है लेकिन जो उचित सहायक डिवाइस से कार्य करने के लिए इस्तेमाल करता है या योजना बनाने के लिए विजन इस्तेमाल करने की संभावना है.

14.2 श्रव्य विकलांगता :

श्रव्य हानि. : 'श्रव्य हानि'' मतलब बातचीत की रेंज की आवृत्ति में बेहतर कान में 60 डेसीबल या उससे अधिक की हानि।

14.3 अस्थि विकलांगता :

(क) **लोकोमोटर विकलांगता : लोकोमोटर विकलांगता का अर्थ है– शरीर के** अंगो को, हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की विकलांगता के कारण हिलाने–डुलाने में पर्याप्त बाधाएं आना या किसी भी प्रकार की सेरेब्रल पल्सी

(ख) **सेरेब्रल पल्सी : सेरेब्रल पल्सी का मतलब ब्रेन इनसल्ट या जन्म से पहले, जन्म के** दौरान या शैशवावस्था में चोट लगने के फलस्वरूप असामान्य मोटर कंट्रोल पोस्चर द्वारा विशेषीकृत व्यक्ति को नॉन–प्रोगेसिव दशाओं का समूह है,

(ग) आर्थोपेडिकली विकलांगता के सभी मामले ''लोकोमोटर विकलांग या सेरेब्रल पल्सी'' की श्रेणी के तहत कवर किए जाएंगे.

14.3.1 आरक्षण के लिए विकलांगता की डिग्री : सेवाओं / पदों में आरक्षण के लिए सिर्फ ऐसे व्यक्ति ही पात्र होगे जिनकी विकलांगता का स्तर 40 प्रतिशत से कम न हो. आरक्षण का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति को दस्तावेज सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार से जारी विकलांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा तथा उसकी एक प्रति आवेदन पत्र के **साथ संलग्न करनी होगी अन्यथा उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।**

14.3.2 विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी : विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड होगा. केंद्र / राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों वाला मेडिकल बोर्ड गठित कर सकती है जिसमें से कम से कम एक लोकोमोटर / सेरब्रल / दृश्य / श्रव्य विकलांगता, जैसा भी मामला हो, के आकलन के लिए विशेष फील्ड का विशेषज्ञ होगा।

14.3.3 दृष्टि विकलांग उम्मीदवार के लिए स्क्राइव : दृष्टि विकलांग / ऐसे उम्मीदवार जिनकी लेखन गति मस्तिष्क पक्षाघात से बाधित है, वे उत्तर लिखने हेतु अपने बदले में स्क्राइब की सहायता ले सकते है. स्क्राइब रखने हेतु उम्मीदवार को रेलवे भर्ती कक्ष के निर्देशानुसार अग्रिम तौर पर सूचित करना होगा। स्क्राइब निम्नांकित शर्तों पर रखे जाएंगे।

- (क) उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं अपने खर्चे पर करनी होंगी। दृष्टि विकलांग उम्मीदवारों के साथ स्क्राइब को अलग से प्रवेश पत्रक जारी किए जाएगे। प्रवेश पत्रक में स्क्राइब के विवरण और उनके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित तथा फोटो सहित होना चाहिए।
- (ख) दृष्टि विकलांग उम्मीदवार स्क्राइब की तरफ से उनके द्वारा किए गए किसी कदाचार के लिए उत्तरदायी होंगे। बेवसाइट पर दिए गए प्रारूप में दी गई वचनबद्धता दृष्टि विकलांग उम्मीदवारों / ऐसे उम्मीदवार जिनकी लेखन गति मस्तिष्क पक्षाघात से प्रभावित है, द्वारा अपने आवेदन के साथ जमा करनी चाहिए।
- (ग) स्काइव की सहायता लेने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक एक घंटे के लिए 20 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

14.3.4 एक आंख वाले सभी उम्मीदवार तथा दृवि उम्मीदवार जिनकी दृष्टि विकलांगता की डिग्री 40 प्रतिशत से कम है, उन पर दृवि उम्मीदवारों के रूप में विचार नही किया जाएगा और स्क्राइब रखने के प्रावधान उनके लिए लागू नहीं होगे।

14.3.5 जिन उम्मीदवारों की विकलांगता अस्थायी हो उनका विकलांगता प्रमाण पत्र 05 वर्ष के लिए वैध होना चाहिए। जहाँ भी विकलांगता की परिवर्तन की संभावना हो वहाँ मेडिकल बोर्ड को प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि दर्शानी चाहिए। स्थायी विकलांगता के लिए विकलांगता ''स्थायी'' दशार्यी जानी चाहिए।

14.3.6 लिखित परीक्षा में सफल शारीरिक विकलांग उम्मीदवार उनके लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा से मुक्त हैं। ऐसे उम्मीदवारों को पैनल पर रखे जाने से पूर्व शारीरिक विकलांग के लिए निर्धारित चिकित्सा परीक्षा पास करनी होगी।

15.0 भूतपूर्व सैनिक :

15.1 भूतपूर्व सैनिक से अर्थ है, ऐसे व्यक्ति (क) जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना / नौ सेना या वायु सेना में (युद्धक अथवा गैर युद्धक) किसी भी सेवा में सेवा की हो, लेकिन इसके अंतर्गत वे व्यक्ति शामिल नहीं हैं, जिन्होंने डिफेन्स सिक्यूरिटी, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, लोक सहायक सेना और अर्द्ध सैनिक बलों में काम किया है एवं

- (i) जो पेंशन पाने के उपरान्त ऐसी सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए हैं, अथवा
- (ii) जो सेना की सेवा के लिए चिकित्सा आधार पर अनुपयुक्त करार देकर अथवा परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर होने के आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो, तथा उसे चिकित्सा या अन्य अक्षमता पेंशन प्रदान की गई हो, अथवा
- (iii) जिसे स्वयं के अनुरोध के अलावा अन्य जैसे सैन्य प्रतिष्ठान के बंद होने के कारण सेवा से मुक्त किया गया हो, अथवा
- (iv) जो स्वेच्छा या बर्खास्तगी या दुर्व्यवहार या अकर्मण्यता या दोषी पाए जाने के अलावा नियुक्ति की विशेष अवधि के पूर्ण होने के पश्चात सेवामुक्त हुए हो तथा प्रादेशिक सेना के निम्नलिखित कोटियों के कमिक शामिल हैं।

(ए) निरंतर सम्मिलित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले (बी) मिलिट्री सेवा के कारण निशक्त व्यक्ति (सी) वीरता पुरस्कार विजेता।

स्पष्टीकरण :– संघ की सशस्त्र सेनाओं में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी में आना है, सेवा की निर्दिष्ट अवधि पूरी होने से एक वर्ष से पहले पुनः रोजगार हेतु आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती है और वे भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली सभी रियायतों का लाभ उठा सकते हैं, किन्तु उन्हें संघ की सशस्त्र सेना में सेवा की निर्दिष्ट अवधि पूरी होने से पहले पद (यूनीफार्म) छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

15.2 जो सेनाकर्मी 01.01.2014 को या उसके पूर्व सैन्य सेवा से डिस्चार्ज किए जा सकते हैं, वे इस रोजगार सूचना के तहत् आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

15.3 भूतपूर्व सैनिकों के आवेदन पत्र के समुदाय सहित सभी कालम को पूर्ण रूप से भरना चाहिए।

15.4 भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक कोटा के तहत केंद्र / राज्य सरकार में समूह ग या घ कोटि में नियुक्ति पा चुके हैंउन्हें केवल आयु की छुट दी जाएगी तथा भूतपूर्व सैनिक कोटा के अधीन विचार नहीं किया जाएगा।

15.5 भूतपूर्व सैनिकों के लिए डिस्चार्ज प्रमाण पत्र : भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में लाभ पाने के लिए उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया डिस्चार्ज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा उसकी एक कापी आवेदन के साथ संलग्न कर भेजनी होगी अन्यथा उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

16.0 रेलवे सहित सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी :

आनलाईन आवेदन कर रहे उम्मीदवार – आनलाइन आवेदन रजिस्टर करने के बाद उम्मीदवार अपने कार्यालय को सूचित करेगा तथा नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करेगा।

हाथ से आवेदन पत्र भरकर भेजने वाले उम्मीदवार :– ऐसे उम्मीदवार यह घोषणा पत्र देगें कि उसने परीक्षा के लिए आवेदन करने की सूचना अपने कार्यालय को दे दी है और चयन होने पर दस्तावेज सत्यापन के समय वह नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देगा अन्यथा उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

17.0 सामान्य अनुदेश :–

17.1 उम्मीदवार पदों के आवेदन करने से पूर्व सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

17.2 किसी पद के लिए आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह सभी अर्हता कसौटी पूरी करता / करती है।

17.3 इस रोजगार सूचना में इंगित रिक्तियों की संख्या अनंतिम है तथा बढ़ या घट सकती है या रेलवे प्रशासन की वास्तविक जरूरतों के आधार पर शून्य भी हो सकती है।

17.4 अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार भी प्रशासन के पास सुरक्षित है तथा ऐसा निर्णय अंतिम तथा सबके लिए बाध्यकारी होगा। अधिसूचित रिक्तियों को रद्द होने के मामले में उम्मीदवार द्वारा दिया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। भर्ती की सभी स्तरों पर उम्मीदवारों को बुलाया जाना पूर्ण रूप से अनंतिम होगा जो कि निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने के अधीन होगा।

17.5 उम्मीदवारों को अंग्रेजी या हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के प्रमाण पत्रों की हिंदी या अंग्रेजी की अनुवादित सत्यापित प्रति दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करनी होगी।

17.6 उम्मीदवारों को बुलावा पत्र जारी किया जाना मात्र उनकी उम्मीदवारी को अंतिम रूप से सही पाए जाने का द्योतक नहीं है।

17.7 आरआरसी / जयपुर उम्मीदवार के अपेक्षित कसौटी पर खरा न उतरने के मामले में भर्ती प्रक्रिया की किसी भी अवस्था में उम्मीदवारों के आवेदन अस्वीकार कर सकता है तथा यदि नियुक्त हा गए तो ऐसे उम्मीदवारों को तुरन्त सेवा से हटाया जा सकता है।

17.8 परीक्षा के किसी भी स्टेज को संशोधित करने, पुनः परीक्षा / पुनः शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने या भर्ती प्रकिया के संपूर्ण या किसी भाग को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार आरआरसी के पास सुरक्षित है।

17.9 किसी भी परिस्थिति में परीक्षा शुल्क की वापसी, नुकसान या हानि की भरपाई नहीं की जाएगी।

17.10 उम्मीदवारों को ओएमआर पत्रक की दोनों (मूल एवं डुप्लीकेट) प्रतियों को लौटाना होगा।

17.11 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे स्वयं के हित में 1000 (पुरुष) / 400 (महिला) मीटर की दौड़ का पर्याप्त अभ्यास सुनिश्चित करें।

17.12 उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती कक्ष द्वारा निर्धारित स्थान, समय एवं तिथि को शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। समय, तिथि एवं स्थान परिवर्तन के किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

17.13 **यात्रा खर्च :** अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को उनके निवास स्थान से लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के स्थान के नजदीकी रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए द्वितीय श्रेणी मुफ्त पास जारी किया जाएगा। अन्य उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा इत्यादि के स्थान पर आने के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

17.14 **ठहरने की व्यवस्था :** सभी उम्मीदवारों को भर्ती प्रकिया के तहत लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षा के लिए आने हेतु ठहरने के लिए अपने स्तर पर प्रबंध करना होगा। उम्मीदवार तीन से चार दिन तक ठहरने की व्यवस्था करके आए। रेलवे भर्ती कक्ष द्वारा ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी।

17.15 पते में परिवर्तन : यदि उम्मीदवार के पते में कोई परिवर्तन होता है तो उम्मीदवार को अपने हित में संबंधित डाकघर से संपर्क कर पुराने पते से नए पते पर डाक पहुंचना सुनिश्चित करना होगा।

17.16 चयनित उम्मीदवारों द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कर लेने के पश्चात् (जहां लागू हो) उत्तर पश्चिम रेलवे में कहीं भी, किसी भी पद / कोटि / विभाग में पदस्थ किया जाएगा। इस संबंध में रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा।

17.17 आरआरबी / आरआरसी परीक्षाओं से वंचित किए गए उम्मीदवारों जिनकी अवधि इस रोजगार सूचना की अंतिम तिथि से पहले पूरी नहीं हुई है, को इस रोज़गार सूचना के जवाब मे आवेदन करने की जरूरत नहीं है।

18.0 कदाचार :

18.1 उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन फार्म भरते समय कोई झूठी जानकारी न दें और न ही कोई जानकारी छुपाए।

18.2 भर्ती प्रकिया के दौरान कहीं भी उम्मीदवार के द्वारा कदाचार किया जाना सख्त निषेध है।

18.3 उम्मीदवार भर्ती प्रकिया में अपने हित के लिए किसी भी राजनीतिक या अन्य प्रभाव का इस्तेमाल का प्रयास नहीं करेगा।

18.4 इस प्रकार की किसी भी तरीके में लिप्त पाए जाने को गंभीरता से लिया जाएगा तथा उसकी पात्रता बिना किसी सूचना के निरस्त कर दी जाएगी।

18.5 उम्मीदवार कृपया नोट करें कि भर्ती प्रकिया के दौरान या उसके पश्चात् निम्नलिखित में से किसी एक के लिए भी उसे दोषी पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी / नियुक्ति किसी भी स्टेज पर बिना किसी सूचना के निरस्त / समाप्त कर दी जाएगी। ऐसे उम्मीदवारों को खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू किया जाना है।

(ए) चयन पाने के लिए जाली / हेरफेर दस्तावेज प्रस्तुत करना या अवैध रूप से मुफ्त यात्रा सुविधा प्राप्त करना।

(बी) भर्ती प्रकिया के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करना।

(सी) उम्मीदवार द्वारा अपने स्थान पर किसी और व्यक्ति को परीक्षा में बिठाना।

(डी) भर्ती प्रकिया के दौरान स्टाफ से र्दुव्यवहार करना।

(ई) अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी भी प्रकार से अवांछित सहायता प्राप्त करना।

18.6 परीक्षा कक्ष से ओएमआर उत्तर पत्रक (मूल या डुप्लीकेट या दोनों) ले जाना। ऐसे उम्मीदवारो की उम्मीदवारी बिना किसी सूचना के निरस्त कर दी जाएगी।

18.7 भर्ती संबंधी समस्त मामलों में रेलवे भर्ती कक्ष का निर्णय अंतिम होगा तथा उम्मीदवारों पर लागू होगा।

18.8 सभी उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र अंतिम तिथी से पूर्व आनलाइन रजिस्टर करें या रेलवे भती कक्ष में भिजवाएं। भर्ती प्रकिया के किसी भी चरण में, किसी भी कारण से गलत आनलाइन रजिस्ट्रेशन होने / डाक की देरी / डाक की गलत अदायगी के लिए आरआरसी / जयपुर उत्तरदायी नहीं होगा।

19.0 विविध :—

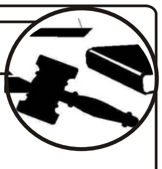

19.1 इस रोजगार सूचना से उत्पन्न कोई न्यायिक / कानूनी विवाद की स्थिति में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जयपुर का ही न्यायाधिकार / कानूनी क्षेत्राधिकार होगा।

19.2 अधिसूचना के हिंदी, अंग्रेजी संस्करण में भिन्नता होने पर अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।

19.3 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम सूचना के लिए समय समय पर हमारी वेबसाइट **www.nwr.Indianrailways.gov.in** पर लाग ऑन करें।

भर्ती संबंधी दलालों से सावधान :

1. रेलवे भर्ती कक्ष द्वारा सभी भर्तीयॉ योग्यता के आधार पर की जाती है।
2. रेलवे भर्ती कक्ष किसी प्रकार की कोचिंग क्लासेस आयोजित नहीं करता है और न ही किसी पुस्तक की सिफारिश करता है तथा न ही किसी व्यक्ति या एजेंसी को अपने ओर से प्रशिक्षण हेतु अधिकृत करता है।

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती कक्ष, जयपुर

रेलवे भर्ती कक्ष– उत्तर पश्चिम रेलवे

दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन, जयपुर – 302018

आवेदन फार्म

आवेदन भरने से पूर्व निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कॉलम 1,2 व 3 को केवल अंग्रेजी के कैपीटल लैटर में भरें।

रोजगार सूचना संख्या 03/2013(रेभक/उपरे)

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

1.प्रथम नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)

2.मध्य नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)

3.अंतिम नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)

4.पिता/पति का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)

5.राष्ट्रीयता ______ 6.धर्म ______ 7.लिंग पुरूष/महिला

8.वैवाहिक स्थिति विवाहित/अविवाहित 9.जन्मतिथि तिथि ___ माह ___ वर्ष ____

10.समुदाय (उपयुक्त कालम में सही का निशान लगाए) अना/अपिव/अजा/अजजा

(यदि अपिव/अजा/अजजा हो) जाति प्रमाण पत्र संख्या__________ जारी होने की तिथि __________

जारी होने का स्थान__________ जारी करने वाले प्राधिकारी__________

11.मोबाइल नं ______ 12.ई मेल आईडी ______

13.निकटतम रेलवे स्टेशन ______

14. पत्राचार का पता

जिला__________

राज्य__________ पिन

15.आइपीओ का विवरण

संख्या	तिथि	राशि

कुल

16.शैक्षणिक अर्हता (उपयुक्त कालम में सही का निशान लगाए)

दसवीं/सैकेण्डरी	उच्च माध्यमिक	आइटीआई	एक्ट अप्रेंटिस	डिप्लोमा	गैर तकनीक		तकनीकी	
					स्नातक	स्नातकोत्तर	स्नातक	स्नातकोत्तर

दसवीं/सैकेण्डरी/आईटीआई के लिए भरें।

प्रमाण पत्र संख्या __________ जारी होने की तिथि __________ बोर्ड/संस्थान __________

17.उपयुक्त कालम में सही (✓) का निशान लगाए (यदि लागू हो)

भूतपूर्व सैनिक	शारीरिक विकलांग			विधवा/तलाकशुदा/न्यायिक रूप से पृथक महिलाएं	अल्पसंख्यक	आर्थिक पिछड़ा वर्ग	सेवारत रेलवे कर्मचारी	केंद्र/राज्य कर्मचारी	रेलवे के अर्द्धप्रशासनिक कार्यालयों के कर्मचारी	जम्मू एवं कश्मीर निवासी
	वीएच	एचएच	ओएच							

भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र का विवरण

डिस्चार्ज बुक संख्या/प्रमाण पत्र संख्या __________ सेवा में एनरोलमेंट की तिथि __________

कुल सेवा अवधि वर्ष_____ माह_____ दिन_____ सेवानिवृति की तारीख __________

विकलांगता प्रमाण पत्र का विवरण प्रमाण पत्र संख्या __________ जारी होने की तिथि __________

जारी होने का स्थान __________ जारी करने वाले प्राधिकारी __________

18. व्यक्तिगत पहचान चिन्ह लिखें 1 __________

2. __________

उम्मीदवार द्वारा घोषणा (कृपया निम्नलिखित पैराग्राफ को अपनी हस्तलिपि में लिखें)

मैं घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए सभी विवरण मेरे ज्ञान और समझ के अनुसार सही है। यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त/ समाप्त कर दी जाए।

तिथि __________

स्थान __________

____

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

(अंग्रेजी के केपीटल लैटर में नहीं करें।)

उम्मीद्वार को सक्षम प्राधिकारी से उचित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र हासिल कर सत्यापन के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं कर पाने पर उसे अयोग्य, ठहराया जा सकता है। इसका (भारत सरकार के कार्मिक, जनशिकायतें, पेंशन और कार्मिक प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित) विवरणिका के अध्याय 13 के अनुरूप होना अत्यंत अनिवार्य हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में उम्मीद्वार निर्धारित निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हुए ऐसे अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश करते हैं जिन्हें सक्षम प्राधिकारी नहीं माना गया है।

अनुलग्नक–2

अजा/अजजा उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

1. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रारूप :–**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/'श्रीमती/'कुमारी ....

पुत्र/'पुत्री (पिता का नाम) .... जो .... 'गांव/शहर ....

. जिला/मंडल .... राज्य/संघ क्षेत्र के रहने वाले हैं, ... जाति/जनजाति से संबंधित

हैं, जो निम्नानुसार अनुसूचित जाति/जन जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

जाति/जनजाति से संबंधित हैं, जो निम्नानुसार अनुसूचित जाति/जन जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

(1) 'संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश –1950
(2) 'संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश –1950
(3) 'संविधान (अनुसूचित जाति)(संघ क्षेत्र) आदेश –1951
(4) 'संविधान (अनुसूचित जन जाति)(संघ क्षेत्र) आदेश –1951, अनुसूचति जाति एवं अनुसूचित जन जाति सूची परिशोधन आदेश –1956, मुम्बई पुर्नगठन अधिनियम–1960, पंजाब पुर्नगठन अधिनियम–1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम–1970, तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुर्नगठन) अधिनियम–1971, एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित।
(5) 'संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956,
(6) 'संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1956।
(7) 'संविधान (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश –1959, अनुसूचित जाति एवं जन जाति आदेश, 1976 द्वारा यथा संशोधित।
(8) 'संविधान (दादर एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश –1962
(9) 'संविधान (दादर एवं नगरहवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश –1962
(10) 'संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश –1964
(11) 'संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश –1967
(12) 'संविधान (गोवा,दमण एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश –1968
(13) 'संविधान (गोवा,दमण एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश –1968
(14) 'संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जन जाति आदेश –1970
(15) 'संविधान (सिक्कम) अनुसूचित जाति आदेश –1978
(16) 'संविधान (सिक्कम) अनुसूचित जन जाति आदेश –1978
(17) 'संविधान (जम्मू एवं कष्मीर) अनुसूचित जन जाति आदेश –1989
(18) 'संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम–1990
(19) 'संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश–1991
(20) 'संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अध्यादेश–1991
(21) 'संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश–1996

(2) 'उन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों से संबंधित व्यक्तियों के मामले में आवेदन–पत्र जो एक राज्य /संघ षासित प्रदेशों से अन्यत्र विस्थापित हुए हैं –
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति से संबंधित यह प्रमाण–पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी ....
पिता/माता का नाम .... निवासी जिला/मंडल' ....
.... राज्य/संघ क्षेत्र' के रहने वाले हैं .... और जो ....
जाति/जनजाति' से संबंधित हैं, जिसे .... राज्य/संघ क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।
जारीकर्ता ....(निर्धारित प्राधिकारी का नाम) द्वारा पत्र सं. .... दिनांक .... के तहत् जारी किया गया है।

(3) श्री/श्रीमती/कुमारी .... और उसका परिवार साधारणतः .... गांव/शहर .... जिला/मंडल .... राज्य/संघ क्षेत्र .... के निवासी हैं।

स्थान ____________

दिनांक ____________

हस्ताक्षर
पदनाम(कार्यालय की मुहर सहित)

(*) कृपया जो शब्द लागू न हो उन्हें काट दें। विशिष्ट राश्ट्रपति आदेशों का उल्लेख करें। जो अनुच्छेद लागू न हो, उसे काट दें।
टिप्पणी – ''साधारणतः निवासी'' का अर्थ यहां वही है, जैसा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम–1950 की धारा 20 में उल्लेखित है

अनुलग्नक–3

अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ी जातियों द्वारा प्रस्तुत करने के लिए प्रमाण–पत्र का प्रारूप :–

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री .... ग्राम/शहर... जिला/मंडल .... राज्य के .... निवासी हैं। .... समुदाय से संबंधित हैं जिसे निम्नलिखित अनुसार पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है –

1. दिनांक 13 सितम्बर, 1993 के भारत राजपत्र – असामान्य, भाग–I, खंड 1, सं. 186 में प्रकाशित दिनांक 10 सितम्बर, 1993 का संकल्प संख्या 12011/88/93–बीसीसी ।
2. दिनांक 19 अक्टूबर, 1994 के भारत राजपत्र – असामान्य, भाग–I, खंड 1, सं. 163 में प्रकाशित दिनांक 20 अक्टूबर, 1994 का संकल्प संख्या 12011/9/94–बीसीसी ।
3. दिनांक 24 मई, 1995 के भारत राजपत्र – असामान्य, भाग–I, खंड 1, सं. 88 में प्रकाशित दिनांक 25 मई, 1995 का संकल्प संख्या 12011/7/95–बीसीसी ।
4. दिनांक 11 दिसम्बर, 1996 के भारत राजपत्र – असामान्य, भाग–I, खंड 1, सं. 240 में प्रकाशित दिनांक 6 दिसम्बर, 1996 का संकल्प संख्या 12011/44/96–बीसीसी ।
5. भारत के राजपत्र–असामान्य सं. 129 में प्रकाशित दिनांक 8 जुलाई, 1997 का संकल्प सं. 12011/68/93–बीसीसी
6. भारत के राजपत्र–असामान्य सं. 164 में प्रकाशित दिनांक 1 सितम्बर, 1997 का संकल्प सं. 12011/12/96–बीसीसी
7. भारत के राजपत्र–असामान्य सं. 236 में प्रकाशित दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 का संकल्प सं. 12011/99/94–बीसीसी
8. भारत के राजपत्र–असामान्य सं. 239 में प्रकाशित दिनांक 3 दिसम्बर, 1997 का संकल्प सं. 12011/13/97–बीसीसी
9. भारत के राजपत्र–असामान्य सं. 166 में प्रकाशित दिनांक 3 अगस्त, 1998 का संकल्प सं. 12011/12/96–बीसीसी
10. भारत के राजपत्र–असामान्य सं. 171 में प्रकाशित दिनांक 6 अगस्त, 1998 का संकल्प सं. 12011/68/93–बीसीसी
11. भारत के राजपत्र–असामान्य सं. 241 में प्रकाशित दिनांक 27 अक्टूबर, 1999 का संकल्प सं. 12011/68/98–बीसीसी
12. भारत के राजपत्र–असामान्य सं. 270 में प्रकाशित दिनांक 6 दिसम्बर, 1999 का संकल्प सं. 12011/88/98–बीसीसी
13. भारत के राजपत्र–असामान्य सं. 71 में प्रकाशित दिनांक 4 अप्रेल, 2000 का संकल्प सं. 12011/36/99–बीसीसी

श्री .... तथा इनका परिवार साधारणतः ....राज्य के .... जिले के निवासी हैं । साथ ही यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे दिनांक 08.09.93 के भारत सरकार की अनुसूची, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ओएम संख्या 36012/22/93–स्थापना(एससीटी) के तीसरे कॉलम एवम ओएम सं. 36033/3/2004–स्थापना (आरईएस) दिनांक 09.03.2004 में उल्लेखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) के अंतर्गत नहीं आते ।

जिलाधिकारी/उप आयुक्त

दिनांक :

मुहर :

टिप्पणी – ''**साधारणतः निवासी**'' का अर्थ यहां वही है, जैसा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम–1950 की धारा 20 में उल्लेखित है ।

अनुलग्नक–4

परीक्षा शुल्क में छूट के लिए आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा दिया जाने वाला आय प्रमाण पत्र

1 उम्मीदवार का नाम :

2. पिता का नाम :

3. आयु :

4. घर का पता :

5. वार्षिक पारिवारिक आय (शब्दों एवम अंकों में) :

6. जारी करने की तारीख :

7. हस्ताक्षर

____

(नाम)

8. जारीकर्ता की मोहर

नोट–आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग से तात्पर्य वे उम्मीदवार होंगे जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 50000 रू से कम है।

आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग की पहचान के लिए वार्षिक आय प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत हैं–

अ. जिलाधीश अथवा अन्य कोई राजस्व अधिकारी जो इनके स्तर का हो या तहसीलदार।

ब. उम्मीदवार अपने ही वर्तमान सांसद जो उनके संसदिय क्षेत्र से चुने गये है।

स. बीपीएल कार्ड धारक या भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के प्रोग्राम के तहत अन्य कोई प्रमाण पत्र या रेलवे द्वारा आईजेडजेडएटी एमएसटी जारी की गई हो।

द. यूनियन मंत्री द्वारा देश के किसी भी रेलवे भर्ती कक्ष को देश के किसी भी उम्मीदवार के लिए सिफारिश करे।

य. वर्तमान राज्यसभा सांसद द्वारा अपने संसदिय क्षैत्र के किसी उम्मीदवार के लिए सिफारिश की हो।

अनुलग्नक–5

अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाने वाली घोषणा का प्रारूप

घोषणा

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री ....

निवासी मौहल्ला ....ग्राम/कस्बा ....शहर/जिला ....

.........राज्य.. यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं .... समुदाय का सदस्य हूँ (केन्द्रिय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई अल्पसंख्यक समुदाय की सूचि में वर्णित मुस्लिम/सिख/ईसाई/बौद्ध/पारसी अंकित करें)

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
उम्मीदवार का नाम

नोट– दस्तावेज सत्यापन के दौरान उम्मीदवार को परीक्षा शुल्क में छूट के लिए अल्पसंख्यक समुदाय की घोषणा का नॉन ज्यूडिसियल स्आम्प पेपर पर घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह अल्पसंख्यक समुदाय जो केन्द्रिय सरकार द्वारा जारी अल्पसंख्यकों की सूचि में वर्णित मुस्लिम/सिख/ईसाई/बौद्ध/पारसी का सदस्य है।